भारत

तंबाकू नीति की स्थिति

धूम्रपान-रहित परिवेश: भारत में भीतरी कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर धूम्रपान करने की मनाही है। 30 से अधिक कमरे वाले होटलों, तथा 30 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्त्राओं और बारों में धूम्रपान के लिए निर्धारित कमरों की अनुमति दी गई है। इसे लागू कराने और इसके अनुपालन का स्तर अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग-अलग है।

विज्ञापनों, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध: प्रमुख संचारमाध्यमों में तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध है, और बिक्री स्थल पर विज्ञापन पर भी कुछ पाबंदियां हैं। लेकिन, बिक्री स्थल विज्ञापन के आकार और उसकी सामग्री पर पाबंदियों को लागू नहीं कराया जाता। तंबाकू की मार्केटिंग के परोक्ष रूपों पर प्रतिबंध से भी बचने के रास्ते निकाल लिए जाते हैं।

तंबाकू के पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनियां: वर्तमान ग्राफिक चित्र असरदार नहीं हैं और तंबाकू के प्रयोग से होने वाले नुकसानों को व्यक्त नहीं करते। देखा गया है कि स्वास्थ्य चेतावनियां कानून के अनुसार पैकेट के सामने छपी होने के बजाय पीछे छपी होती हैं और कानून के अनुसार सामने के मुख्य प्रदर्शित क्षेत्र के 40 प्रतिशत आकार से छोटी होती हैं। मार्च 2010 में, सरकार ने एक नये चित्रात्मक चेतावनी लेबल को मंजूरी दी लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हुई है।

तंबाकू पर टैक्स और कीमतें: सिगरेटों पर तंबाकू टैक्स की दरें कम हैं। भारत में जिन तंबाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है उनमें से अधिकांश गैर-सिगरेट किस्में हैं, जैसे बीड़ी और धूम्ररहित उत्पाद। इन उत्पादों की कीमतें कम रखी गई हैं। सिगरेट की अपेक्षा बीड़ी पर टैक्स की दर कम है, और कुछ मामलों में टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है।

तंबाकू नियंत्रण नीतियां

धूम्रपान-रहित परिवेश - धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध

स्वास्थ्यचर्या केंद्र	हां	भीतरी कार्यालय	हां
शैक्षणिक केंद्र, विश्वविद्यालयों को छोड़कर	हां	सार्वजनिक परिवहन	हां
विश्वविद्यालय	हां	रेस्त्रां	नहीं
सरकारी केंद्र	हां	पब और बार	नहीं
क्या उप-राष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जो तंबाकू धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं?			नहीं

विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध

राष्ट्रीय टीवी और रेडियो	हां	मुफ्त वितरण	हां
अंतर्राष्ट्रीय टीवी और रेडियो	हां	प्रचार हेतु रियायतें	हां
स्थानीय पत्रिकाएं/अखबार	हां	तंबाकू वाले नामों से गैर-तंबाकू उत्पाद	हां
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं/अखबार	हां	तंबाकू उत्पाद के लिए गैर-तंबाकू ब्रांड का प्रयोग	हां
साइनबोर्ड और आउटडोर विज्ञापन	हां†	टीवी और/या फिल्मों में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन	नहीं
बिक्री स्थल	नहीं	प्रायोजित आयोजन	हां
इंटरनेट	हां		

तंबाकू के पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनियां

कानून विशिष्ट चेतावनियों का आदेश देता है	हां	स्वीकृत चेतावनियों की संख्या	2
चेतावनियां तंबाकू के प्रयोग के नुकसानदेह प्रभावों का वर्णन करती हैं	हां	चेतावनियां बदलती रहनी चाहिए	हां
चेतावनियों में चित्र या ग्राफिक शामिल है	हां	चेतावनियां मुख्य भाषा(ओं) में लिखी होती हैं	हां
मुख्य प्रदर्शित क्षेत्र (सामने और पीछे) का इतने % कवर किया	20%	चेतावनियों में फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार और रंग अनिवार्य किए गए हैं	हां
सामने	40%	भ्रामक वर्णकों पर प्रतिबंध	हां
पीछे	0%		

तंबाकू पर टैक्स और कीमत

सबसे अधिक बिकने वाली ब्रांड की कीमत, 20 सिगरेट का पैक			सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांड पर टैक्स (खुदरा कीमत का %)*	
देश द्वारा सूचित मुद्रा में	रुपये	70.00	कुल टैक्स	46%
आधिकारिक विनिमय दर पर अमेरिकी डालर में	यूएसडी	1.51	कुल उत्पाद कर (विशिष्ट और यथामूल्य)	28%
			मूल्य वर्धित कर (वैट)	19%

*कर के अलग-अलग वर्गों में पूर्णांकन के कारण कुल योग में असमानताएं हो सकती हैं।
†सीओपीटीए अनुभाग 5(2) के अनुसार, अन्य स्थानों सहित किसी भी भूमि, ईमारत या दीवार पर तंबाकू विज्ञापन स्थित करना निषेध है, पर इसमें बिक्री स्थल का अपवाद शामिल है। इस अपवाद को सीमित करने वाले नियमों को मुंबई उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। स्रोत: सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण पर नियंत्रण) अधिनियम, 2003, अनुभाग 5(2)।

स्रोत: वैश्विक तंबाकू महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2011, http://who.int/tobacco पर उपलब्ध